IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में शिक्षा के अधिकार का ऐतिहासिक विश्लेषण :प्राचीन काल से वर्तमान तक

मनीषा, डॉ. ममता उपाध्याय

शोध छात्रा, प्रोफेसर

राजनीति विज्ञान विभाग

कुमारी मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गौतम बुद्ध नगर,

उत्तर प्रदेश संबद्ध चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ (उप्र) भारत

सार

शिक्षा मानव की सबसे प्रमुख आवश्यकता है जिसके अभाव में व्यक्ति और राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकते। शिक्षा मानव के सर्वांगीण विकास का आधार होती है। शिक्षा का अधिकार एक ऐसा अधिकार है ,जो यह सुनिश्चित करता है कि हर मानव को गुणवत्तापूर्ण एवं अनिवार्य शिक्षा मिल सके। शिक्षा के अधिकार को मानव के लिए आवश्यक मानते हुए 161 देशों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निशुल्क प्रदान करने हेतु कानूनी प्रावधान किए गए है। भारत में भी 2010 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया,जिससे हर बालक को शिक्षा मिल सके। प्रस्तुत शोध पत्र प्राचीन काल से आधुनिक समय तक शिक्षा के अधिकार का ऐतिहासिक विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रस्तुत शोध पत्र में ऐतिहासिक प्रविधि के माध्यम से अध्ययन किया गया है।यह शोध कार्य द्वितीय आंकड़ों पर केंद्रित है। यह पत्र हमें प्राचीन काल से वर्तमान समय तक शिक्षा के स्वरूप में आए परिवर्तन एवं शिक्षा के अधिकार की स्थिति ज्ञात करने में सहायक होगा। यह ऐतिहासिक विश्लेषण हमें स्त्री और निम्न वर्गों की शैक्षणिक स्थिति के साथ साथ शिक्षा के अधिकार की स्थिति से अवगत कराने में भी सहायक होगा।

कुंजी शब्द : शिक्षा, अधिकार, इतिहास, स्त्री शिक्षा, गरीब और वंचित समुदाय।

प्रस्तावना

शिक्षा व्यक्ति एवं समाज की समृद्धि का प्रमुख स्तंभ है।शिक्षा द्वारा व्यक्तित्व विकास, ज्ञान अर्जन ,आर्थिक उन्नति,आत्मनिर्भरता, सामाजिक उत्थान एवं राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है।शिक्षा मानव जीवन के लिए आवश्यक होने के नाते शिक्षा का अधिकार समस्त नागरिकों को प्राप्त होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि को देखे बिना सब नागरिकों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करता है, ताकि

हर वर्ग समान रूप से सशक्त हो कर राष्ट्र की उन्नति में अपना बहुमूल्य योगदान दे सके। विश्व के राष्ट्रों के द्वारा शिक्षा को ना केवल अधिकार की श्रेणी में रखा है,बल्कि बुनियादी मौलिक अधिकार भी माना गया है। यह बुनियादी मौलिक अधिकार ही गरीबी उन्मूलन तथा विश्व को सशक्त करने में सहायक होगा। मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा(1948) में वर्णित अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार एक कानूनी गारंटी है जो यह सुनिश्चित करता है कि राज्य द्वारा हर नागरिक के लिए बिना भेदभाव की शिक्षा की व्यवस्था की जाए।भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में भी शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया।वर्तमान में भारत सहित विश्व के 149 देश के संविधान में शिक्षा के अधिकार का उल्लेख मिलता है।भारत 2010 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को लागू कर विश्व की 135 देश में सम्मिलित हो गया है। विश्व के अधिकांश देशों द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का रूप प्रदान किया गया है। आज सभी को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है परंतु इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए एक लंबी यात्रा की गई है। शिक्षा के अधिकार की जो आधुनिक धारणा हमारे सामने उपस्थित है भारत में प्राचीन काल में इस स्वरूप में नहीं थी।भारतीय शिक्षा व्यवस्था ने प्राचीन गुरुकुलो से नवीन शिक्षा नीति 2020 तक का लंबा सफर तय किया है। इस सफर में प्राचीन काल के गुरुकुल एवं नालंदा,तक्षशिला, वल्लवी,मैथिली,विक्रमशिला जैसी प्रमुख विश्वविद्यालय द्वारा वेदांत, वेदों, धर्मशास्त्रों इत्यादि की शिक्षा, बुद्ध काल मठों तथा संघ में बुद्ध शिक्षा,मध्यकाल में शिक्षा केंद्र मदरसे, मकतब में मिलने वाली इस्लामी एवं अरबी, फारसी शिक्षा।

ब्रिटिश काल में मैकाले की शिक्षा नीति, वुड का डिस्पैच1854, विश्वविद्यालय का निर्माण एवं अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार, आजादी के पश्चात विभिन्न महत्वपूर्ण आयोग, नई शिक्षा नीति (1968,1986,2020), सर्व शिक्षा अभियान,संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य के रूप में सम्मिलित करना एवं 2009 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम लागू कर शिक्षा को कानूनी रूप प्रदान करना तक जैसे महत्वपूर्ण पड़ाव सम्मिलित होते हैं, जो बदलती हुई आवश्यकता एवं वैश्विक प्रभावों को दृष्टि में रखते हुए परिवर्तित होती रहे हैं।

प्रस्तुत शोध पत्र में प्राचीन काल से वर्तमान समय तक शिक्षा एवं शिक्षा के अधिकार के इतिहास का ऐतिहासिक विश्लेषण किया गया है। यह शोध पत्र शिक्षा के संपूर्ण इतिहास को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है। शिक्षा के इतिहास का यह विश्लेषण हमें प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था में विद्यमान उत्तम विचार एवं अतीत में शिक्षा के क्षेत्र में की गई गलतियों से सीखने में सहायक होगा।

शोध उद्देश्य शोध पत्र के निम्नलिखित उद्देश्य है।

- शिक्षा के अधिकार का ऐतिहासिक विश्लेषण करना।
- प्राचीन काल से वर्तमान समय तक शिक्षा के स्वरूप में आए परिवर्तन का अध्ययन करना।
- प्राचीन काल और मध्यकाल में शिक्षा के अधिकार के अस्तित्व का अध्ययन करना

- स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के अधिकार कितना सशक्त हुआ एवं उसके स्वरूप का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि शोध पत्र में ऐतिहासिक शोध विधि का प्रयोग किया गया है। अध्ययन हेतु द्वितीय स्रोतों का प्रयोग किया गया है, जिसमें शोध पत्र, पुस्तक,शोध प्रबंध इत्यादि सम्मिलित है।

प्राचीन काल से वर्तमान तक शिक्षा का अधिकार

शिक्षा को प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त रहा है। प्राचीन काल में शिक्षा को तृतीय नेत्र की संज्ञा प्रदान की गई थी। परिस्थितियों एवं शासन व्यवस्था के परिवर्तित होने के कारण प्राचीन काल से वर्तमान समय तक शिक्षा के माध्यम एवं उसके स्वरूप परिवर्तन आया है। समय के साथ शिक्षा के स्वरूप के साथ–साथ शिक्षा की अधिकार में भी परिवर्तन आया है जैसे प्राचीन काल में शिक्षा महिलाओं और सभी वर्गों के लिए उपलब्धि थी । ऋग्वेद में महिला विदुषी जैसे आपला,लोपामुद्रा का उल्लेख मिलता है। धीरे–धीरे समय के साथ महिलाओं और निम्न वर्गों की शिक्षा की स्थिति चिंताजनक हो गई। ब्रिटिश काल में सर्व शिक्षा के लिए प्रयास प्रारंभ हुई। आजादी के पश्चात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 ए तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत में नागरिकों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है।

प्राचीन काल से वर्तमान तक शिक्षा के अधिकार की स्थिति को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन की सुविधा के लिए संपूर्ण इतिहास को चार भागों में विभाजित किया गया है।

- प्राचीन काल
- मध्यकाल
- ब्रिटिश काल
- स्वतंत्रता के पश्चात

1.प्राचीन काल

प्राचीन काल में शिक्षा को अत्यंत महत्व दिया जाता था। वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था मौखिक रूप से गुरुकुल में प्रदान की जाती थी, जो मुख्य रूप से वेदों पर आधारित थी। इस काल में सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी। महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। महिलाओं भी उपनयन संस्कार एवं वेद अध्ययन की अधिकारी थी। प्राचीन काल में लोपामुद्रा, आपला, गार्गी, रोमा जैसी प्रमुख महिला विदुषी का उल्लेख मिलता है।वह महिलाएं विवाह से पूर्व शिक्षा अर्जित करती थी, वो सदयोदवास और जो अजीवन शिक्षा अर्जित करती ,वो ब्रह्मवदिनीज कहलाती थी। वैदिक काल में शूद्रों और पिछड़े वर्ग को भी शिक्षा का अधिकार था। अथर्ववेद में शूद्रों को वेदों का श्रवण करने, स्मरण करने की अनुमति दी गई थी। वैदिक काल के इतिहास से महिलाओं के विषय में अधिक जानकारी मिलती है परंतु शूद्रों के विषय में अधिक जानकारी नहीं मिलती।

उत्तर वैदिक काल (1000 ईसा पूर्व के बाद) में महिलाओं और शूद्रों की शिक्षा की स्थिति में गिरावट आई और उनके शिक्षा के अधिकार को सीमित कर दिया गया। मनुस्मृति एवं अन्य धर्म शास्त्रों को महिलाओ, शूद्रों की शिक्षा के अधिकार को सीमित करने का प्रमुख कारण माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का अधिकार जातिगत विशेष अधिकार के रूप में परिवर्तित हो गई। महर्षि मनु के द्वारा शूद्रों के बारे में आदेश किया गया था कि शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, उन्हें किसी भी प्रकार की शिक्षा न दी जाए।

बुद्ध काल में मठों और विहार से शिक्षा का इतिहास जुड़ा हुआ है ,क्योंकि बुद्ध काल में इन संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य कोई शैक्षणिक संस्थाओं नहीं थी। बुद्ध काल में जाति प्रथा अधिक प्रबल नहीं थी। सभी वर्ण के लोगों को संघ से जोड़कर बुद्ध शिक्षा की अनुमति थी। बौद्ध संघ में केवल बुद्ध शिक्षा प्रदान की जाती थी।भगवान बुद्ध के द्वारा संघ में महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंध था परंतु अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर अपनी सौतेली माता के संघ में शामिल होने की अनुरोध को स्वीकार किया गया, उनकी माता 500 अन्य महिलाओं के साथ संघ में सम्मिलित हुई। महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति तो मिला परंतु उनके संघ में प्रवेश कठिन था।बुद्ध महिलाओं को संघ में प्रवेश और भिक्षुणी वाले पथ के प्रारंभ में समर्थक नहीं थे।इसका अर्थ यह नहीं होता वो महिला हितैषी नहीं थे।बुद्ध महिलाओं को पुरुषों के समान मानते थे। बुद्ध का मत था कि महिला शिक्षा एवं धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।खेमा, धम्मदीन्न भिक्षुणी का बौद्ध ग्रंथ में उल्लेख मिलता है , जो अत्यंत विद्वान और धाम का प्रचार प्रसार करने की योग्यता रखती थी। थेरगाथा की कवित्रियों में हमें 32 संपूर्ण जीवन ब्रह्मचारिणी और विवाहित भिक्षुणियों के बारे में पता चलता है। बुद्ध के द्वारा जाति प्रथा का जन्म के आधार पर समर्थन नहीं किया उन्होंने कर्म को प्राथमिकता दी। बुद्ध काल में महिला, वंचित और गरीब समुदाय के प्रति समाज की दृष्टि में परिवर्तन अवश्य आया था।

2.मध्यकाल

भारत में मध्यकाल में मुस्लिम शासक का काल रहा। इस काल में वही शिक्षा व्यवस्था थी जो अन्य इस्लामी देशों में थी। शिक्षा दो भागों में विभाजित थी प्राथमिक शिक्षा मकतब और उच्च शिक्षा मदरसों में प्रदान की जाती थी। मध्यकाल में शिक्षा व्यवस्था इस्लामी धर्म पर आधारित थी परंतु गणित, वैज्ञानिक, दर्शन अन्य विषयों की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। अब संस्कृत के स्थान पर फारसी और अरबी भाषा में शिक्षा की व्यवस्था थी। मध्यकाल में शिक्षा व्यवस्था की सबसे अच्छी बात यह थी कि शिक्षा निशुल्क प्रदान की जाती थी, होनहार विद्यार्थी को छात्रवृत्ति एवं आवास की सुविधा भी उपलब्ध थी। मकतब और मदरसों में सभी वर्गी बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी परंतु धार्मिक शिक्षा पर अधिक बल होने के कारण हिंदू समुदाय का शिक्षा में प्रतिभाग कम था।मध्यकाल में गुरुकुलों की व्यवस्था थी लेकिन उनकी संख्या काफी कम थी। मुस्लिम शासको के द्वारा मकतब और मदरसों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। मकतब और मदरसों प्रत्यक्ष रूप से कोई पक्षपात नहीं था,परंतु शिक्षा व्यवस्था धर्म पर आधारित एवं कुलीन वर्ग पर केंद्रित होने के कारण दलित एवं वंचित समुदाय की शिक्षा तक पहुंच बहुत कम

थी।वंचित और गरीब समुदाय की शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था।मुस्लिम काल में महिलाओं की शिक्षा की स्थिति खराब थी क्योंकि पर्दा प्रथा तथा अन्य धार्मिक कुरीतियों के कारण महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। शिक्षा का अधिकार केवल उच्च घर एवं राजघराने की महिलाओं को प्राप्त था, जिनको शिक्षा उनके घर पर ही प्रदान की जाती थी।

मुस्लिम शासको के द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयास भी किए गए थे ,जिसमें अकबर का नाम सबसे प्रथम आता है।अकबर के द्वारा मकतब और मदरसों में हिंदुओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था का भी प्रबंध कर गया था, ताकि सभी बालक को शिक्षा का अधिकार मिल सके।महिला शिक्षा के लिए अकबर के द्वारा स्त्री शिक्षा के लिए फतेहपुर सीकरी में महिला मदरसे को स्थापित किया गया।जहांआरी शाहजहां की पुत्री ने भी महिला मदरसे को स्थापित किया।

3. ब्रिटिश काल

ब्रिटिश अभिलेख से पता चलता है कि अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में स्वदेशी शिक्षा व्यवस्था प्रचलित थी, जहां पर गुरुकुल, पाठशाला, मकतब और मदरसों के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को 1599 में भारत में व्यापार के उद्देश्य स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआत से 1813 तक शिक्षा क्षेत्र में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया था, परंतु समय के साथ धीरे–धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश प्रशासन के लिए योग्य कर्मचारी के उद्देश्य से भारतीय शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया। ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ईसाई मिशनरियों के द्वारा जिन भारतीय द्वारा ईसाई धर्म स्वीकार किया गया उनके बालकों को निशुल्क शिक्षा एवं आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। ईसाई मिशनरी की शिक्षण संस्थाओं का उद्देश्य अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के साथ–साथ अपने देश की संस्कृति सभ्यता को भारत में सुदृढ़ करना भी था। ईसाई मिशनरी की शिक्षा व्यवस्था निशुल्क अवश्य थी परंतु इस शिक्षा का उद्देश्य जनहित कम बल्कि धर्म हित अधिक था।

1813 चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटेन संसद द्वारा शिक्षा पर सालाना ₹1 लाख खर्च करने का आदेश दिया गया। अंग्रेजों द्वारा यह शिक्षा क्षेत्र में प्रथम प्रयास था जो बाद में शिक्षा के स्वरूप पर विवाद में परिवर्तित हो गया, जो 1835 में मैकाले की शिक्षा नीति द्वारा समाप्त हुआ । मैकाले की शिक्षा नीति द्वारा पश्चिमी विज्ञान तथा साहित्य शिक्षा व्यवस्था की गई एवं शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा गया।मैकाले शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य केवल उच्च और मध्यवर्ग के छोटे से हिस्से को शिक्षित करना था, जो ब्रिटिश प्रशासन में सहायता कर सके।1854 का वुड डिस्पैच जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्नाकार्टा भी कहा जाता है।वुड डिस्पैच के माध्यम से ही भारतीय शिक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव आया।भारतीय शिक्षा व्यवस्था सुधार के लिए वुड डिस्पैच के द्वारा व्यापक योजना तैयार की गई थी।वुड डिस्पैच के द्वारा महिला शिक्षा,मुस्लिम शिक्षा, शिक्षक शिक्षा ,शिक्षा एवं रोजगार, धर्मनिरपेक्ष एवं जन स्तर पर शिक्षा का विस्तार करना इत्यादि जैसी प्रमुख सिफारिश की गई थी।वुड डिस्पैच के द्वारा जन सामान्य के लिए शिक्षा की

व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी बताया गया। प्रथम बार महिला शिक्षा की बात वुड डिस्पैच के द्वारा रखी गई। जन सामान्य के लिए एवं महिला के लिए शिक्षा की बात कर वुड डिस्पैच द्वारा शिक्षा के अधिकार की दिशा में कार्य किया गया।

हंटर आयोग 1882 1882 में भारत में सर विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। हंटर आयोग के माध्यम से भारत में शिक्षा क्षेत्र में प्रगति का मूल्यांकन किया गया था। हंटर आयोग के द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिए भी सुझाव प्रस्तुत किए गए थे जैसे प्राथमिक शिक्षा को क्षेत्रीय भाषा में प्रदान करना, राज्य के द्वारा प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना, पिछड़े एवं निम्न जातियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, इत्यादि। हंटर आयोग के द्वारा तत्कालीन समय में महिला शिक्षा के संबंध में समस्याओं को उजागर किया गया एवं आवश्यक सुझाव प्रस्तुत किए गए थे। हंटर आयोग की सिफारिश से भारत में शिक्षा में उन्नति दर्ज हुई,जिससे भारत में विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई। हंटर आयोग के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था करते हुए शिक्षा के अधिकार की दिशा में कार्य किया गया।

भारतीय शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से शिक्षा को हस्तांतरित विषयों में शामिल किया गया जिसके प्रभाव के कारण 1920 में मध्य प्रदेश,मद्रास, पंजाब, बिहार, संयुक्त प्रांत, बंगाल में अनिवार्य एवं निरूशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिनियम पारित कर दिया गया। इस अधिनियम के बाद प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में प्रगति हुई। प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में प्रगति का अर्थ होता है कि शिक्षा तक बालकों की पहुंच में भी वृद्धि हुई है।सार्जेंट योजना 1944 में प्रथम बार 3 से 6 साल के बालक के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं 6 से 11 बालक के लिए निशुल्क और सार्वभौमिक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने की सिफारिश की गई। युवाओं में 20 वर्ष की आयु तक की अशिक्षा को समाप्त करने की दिशा में कार्य करने की भी सिफारिश प्रस्तुत की गई। इस प्रकार की सिफारिश बदलते समय के साथ शिक्षा के अधिकार के प्रति गंभीरता को इंगित करती है।भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1904,सैंडलर आयोग 1917, हर्टिंग आयोग 1929, सार्जेंट योजना 1944 इत्यादि के माध्यम से भारत में शिक्षा व्यवस्था सुधार एवं सभी वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करते हुए शिक्षा के अधिकार की दिशा में कार्य किया गया। इस समय में शिक्षा का अधिकार संवैधानिक व सरकारी आदेश के रूप में नहीं था परंतु इस दिशा में कार्य निरंतर किया जा रहा था।

ब्रिटिश काल में 20वीं शताब्दी राजनीतिक अस्थिरता का समय था, जहां पर राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञ का सरकार के प्रति आक्रोश था कि सरकार के द्वारा देश में शिक्षा के विकास और निरक्षरता के लिए विशेष कार्य नहीं किया जा रहा अतः दादाभाई निरोजी, बाल गंगाधर तिलक, श्रीमती एनी बेसेंट,छत्रपति शाहूजी महाराज जैसे भारतीय द्वारा सभी के लिए शिक्षा एवं शिक्षा की दिशा में कार्य किए गए।दादाभाई नीरोजी के द्वारा 1882 में हंटर कमीशन के सामने प्रथम बार प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने एवं निरूशुल्क शिक्षा की मांग की गई थी ।ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस मांग पर ध्यान नहीं दिया गया।1894 में छत्रपति शाहूजी महाराज जो कोल्हापुर रियासत के राजा थे ,उनके द्वारा दलित,पिछड़ी जाति के लिए विद्यालय एवं छात्रावास का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

गई। छत्रपति महाराज के द्वारा 1894 से 1922 तक दलित और पिछड़ी जाति के साथ समाज के अन्य सभी वर्गों के लिए अलग–अलग सरकारी संस्थाएं स्थापित करने में महत्वपूर्ण पहल की।बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड वाला के द्वारा भी निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास किया गया था। बड़ौदा नरेश के द्वारा 1893 में अपने राज्य में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए 9 ग्राम पंचायत में योजना प्रारंभ की गई थी।इस योजना को सफलता मिलने के बाद उनके द्वारा 1906 में प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता के लिए अधिनियम बनाया गया और उसे अपने संपूर्ण राज्य में लागू किया गया।बड़ौदा नरेश की इस योजना की सफल से प्रभावित होते हुए गोपाल कृष्ण गोखले के यह अनुभव किया गया कि अगर बड़ौदा नरेश सीमित संसाधन में भी यह कार्य इतनी सफलतापूर्वक कर सकते हैं तो ब्रिटिश सरकार संसाधन संपन्न होने पर भी क्यों नहीं कर सकती।19 मार्च 1910 को गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सम्मुख निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव रखा।

आजादी के पश्चात

भारत जब ब्रिटिश साम्राज्य से 1947 में स्वतंत्र हुआ, उस समय भारत की शिक्षा प्रणाली अनेक चुनौतियों से जूझ रही थी। 1947 के समय भारत की साक्षरता दर मात्र 14 प्रतिशत की थी एवं महिला साक्षरता मात्र 8 प्रतिशत थी। भारत एक नवीन आजाद राष्ट्र था और भारत के सामने अनेक चुनौतियां थी। शिक्षा एक प्रमुख चुनौती के रूप में सामने थी क्योंकि अगर किसी राष्ट्र की युवा सशक्त ना हो तो उसे राष्ट्र कितना ही प्रयास कर ले उन्नति नहीं कर सकता। भारत के द्वारा विभिन्न आयोग, संविधान एवं नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा दिशा में सुधार करने के लिए प्रयास किए गए। भारत में शिक्षा व्यवस्था की उन्नति एवं शिक्षा के अधिकार की स्थिति को हम निम्नलिखित बिंदुओं के तहत अध्ययन करेंगे।

- संवैधानिक प्रावधान
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009

1.संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान के द्वारा मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देश तत्व में शिक्षा से संबंधित शैक्षणिक प्रावधानों का उल्लेख किया गया है जिसके माध्यम से देश में सभी शिक्षा प्राप्त कर सके और अपनी शिक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सके।

मौलिक अधिकार : अनुच्छेद 21। भारतीय नागरिकों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 21ए 6 से 14 साल तक के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान है।

राज्य के नीति निर्देश तत्व : अनुच्छेद 45 राज्य को संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर अपने क्षेत्र में 14 वर्ष तक की आयु के बालक के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने हेतु यथासंभव प्रयास करना होगा। 2002 में 86 वे संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 45 में संवैधानिक संशोधन करते हुए 6 वर्ष तक की आयु के बालक के लिए देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था राज्य द्वारा कराए जाने का प्रावधान सम्मिलित किया गया है।

अनुच्छेद 46 : राज्य के द्वारा पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों की शैक्षिक उन्नति के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

मौलिक कर्तव्य : 86 में संवैधानिक संशोधन (2002) द्वारा मौलिक कर्तव्य 11 के अनुसार माता–पिता और अभिभावक का दायित्व होगा कि 6 से 14 साल की बालक की निशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करें।

3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति

भारत में भारतीय शिक्षा को नवीन दिशा देने के लिए आजादी के बाद अब तक तीन बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई क्रमशरू 1968,1986, 2020। प्रमुख शिक्षा नीतियों के द्वारा भारत में सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती रही है जो शिक्षा के अधिकार को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है।

1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी जिसके द्वारा 14 वर्ष की आयु के बालक बालिकाओं के लिए अनिवार्य एवं निरूशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के माध्यम से केंद्रीय बजट का 6 प्रतिशत हिस्सा को भारतीय शिक्षा पर व्यय करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया था।

1986 की शिक्षा नीति 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कमियों को दूर करने के सहित नए समय के अनुरूप नए शैक्षणिक प्रावधान शामिल करने पर भी केंद्रित थी। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य देश में समानता स्थापित करना रहा।1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा तत्कालीन वंचित समूह और महिलाओं की शिक्षा के लिए भी कार्य किया गया था। नीति में उल्लेख किया गया था कि अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक विकास हेतु कार्य किया जाएगा ताकि वह भी समाज के अन्य वर्ग की तरह सशक्त हो सके। अनुसूचित जाति,जनजाति एवं प्रौढ़ शिक्षा की दिशा में भी कार्य किया गया।

नई शिक्षा नीति 2020 भारत की पुरानी शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त कमियों को दूर करने एवं भारत को वैश्विक आवश्यकता के अनुसार शिक्षा व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से निर्मित की गई। नई शिक्षा नीति 2020 के द्वारा छात्रों में कौशल क्षमता एवं व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन करने के सहित क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान भी करती है। नई शिक्षा नीति के द्वारा बुनियादी साक्षरता सुधारने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। नई शिक्षा नीति के द्वारा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल के माध्यम से 6 साल की आयु तक वाले की शिक्षा

पर विशेष ध्यान केंद्रित करने का प्रावधान करती है। नई शिक्षा नीति के द्वारा सभी बालकों को समान सीखने और सामाजिक दृ आर्थिक रूप से वंचित समूह पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। भारतीय संविधान में 6 से 14 साल तक के बालक के लिए निरूशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से संविधान की इस प्रावधान को ओर विस्तार देते हुए 3 से 18 वर्ष की आयु तक कर दिया गया है।

4. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009

29 अगस्त 2009 को भारतीय संसद में एक ऐतिहासिक अधिनियम पारित किया गया,जिसको शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से जाना जाता है। 19 मार्च 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा प्रथम बार निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित एक प्रावधान ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा। महात्मा गांधी और जाकिर हुसैन के द्वारा भी नई तालीम की अवधारणा पेश की गई। भारतीय संविधान के द्वारा भी 6 से 14 साल की बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया परंतु इस प्रावधान को तुरंत कानूनी रूप नहीं मिला। 2009 में भारत संसद के द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के रूप में पारित कर एक कानूनी रूप प्रदान किया गया।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं

- 6 से 14 साल की बालकों के लिए निरूशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना।
- छात्र शिक्षक अनुपात में सुधार करना
- शिक्षा पर होने वाले वित्तीय भार को केंद्र व राज्य सरकार के मध्य 45 55 अनुपात में हिस्सेदारी करना।
- शिक्षकों के द्वारा अपने कर्तव्य का पालन करना
- 1 किलोमीटर के भीतर प्राथमिक सरकारी विद्यालय की स्थापना करना।
- 3 किलोमीटर के भीतर उच्च सरकारी विद्यालय की स्थापना करना।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से बालकों को बिना भेदभाव के शिक्षा प्रदान की जाती है।शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत न केवल सरकारी विद्यालयों सम्मिलित है बल्कि निजी विद्यालयों में वंचित समूह की बालकों के लिए 25 प्रतिशत सीटों का आरक्षण देकर निजी विद्यालयों में भी सभी वर्गों के बालकों को एक साथ शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है।

निष्कष शिक्षा को आवश्यक मानते हुए भारत के द्वारा आजादी के पश्चात शिक्षा व्यवस्था सुधार के लिए अनेक प्रयास किए गए थे, जिससे सकारात्मक परिवर्तन भी आए। भारत के प्रयास के परिणाम स्वरूप शिक्षा का अधिकार सभी को बिना भेदभाव के प्राप्त हो सका। आज वर्तमान में सभी को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है परंतु यह शिक्षा

का अधिकार मिलने के लिए एक लंबा समय तय किया गया है। वैदिक काल में शिक्षा के अधिकार की स्थिति अच्छी थी परंतु धीरे–धीरे कुप्रथा ,वर्ण व्यवस्थाएं इत्यादि के कारण शिक्षा का अधिकार संपूर्ण समाज को नहीं प्राप्त हो सका, विशेष कर महिला और निम्न वर्ग को। ब्रिटिश शासन में प्रारंभ में शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रहा था। कुछ वर्षों के बाद ब्रिटिश शासन में ही शिक्षा के अधिकार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए जैसे महिलाओं को शिक्षा में शामिल करना निम्न एवं वंचित वर्ग की शिक्षा के लिए प्रबंध करना इत्यादि सम्मिलित है। ब्रिटिश काल में भारतीयों के द्वारा भी शिक्षा के अधिकार के लिए यथासंभव प्रयास किए गए, इसमें दादाभाई निरोजी ,बाल गंगाधर तिलक, राजा राममोहन राय,बड़ौदा नरेश,ज्योतिबा फुले इत्यादि का नाम उल्लेखनीय है। आजादी के पश्चात भारतीय संविधान, नई शिक्षा नीति एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को सुदृढ़ किया गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- ईशा मोहम्मद फैसल, पाण्डेय, विधु शेखर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विश्लेषण आत्मक अध्ययन,स्कॉलरली रिसर्च जर्नल फॉर इंट्रडिसीप्लिनरी स्टडीज, जनवरी फरवरी 2019
- उपाध्यक्ष ममता, जैस्मिन, मनीषा नई शिक्षा नीति 2020 एक समग्र दृष्टिकोण, प्रज्ञान, 2024
- कृष्णा, डॉ अजय, प्राचीन भारत में शिक्षा का स्वरूप एवं प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा,
- इंटरनेशनल जर्नल फॉर एजुकेशन, मॉडर्न मैनेजमेंट अप्लाइड साइंस एंड सोशल साइंस,दिसंबर 2020
- चौधरी मनोज, बौद्ध धर्म में स्त्री शिक्षा का अध्ययन, इंटरनेशनल जर्नल फॉर अप्लाइडसाइंस, 2017
- लिटरेसी गिवन ग्रेट फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन सोसाइटी मोर एक्टिवलीरूवाइस प्रेसिडेंट https://www-pib-gov-in/PressReleasePage-aspÛ\PRID¾1540730&reg¾3&lang¾2
  30 जुलाई 2018, 7:30 पी.एम,पीआईबी दिल्ली
- बासित,सैय्यद मुजाहिद सैय्यद, तातेड डॉ. कविता,मुगलकालीन शिक्षा नीति का सामाजिक मूल्यांकन, आयुषी इंटरनेशनल इंटर डिसीप्लिनरी रिसर्च जर्नल, दिसंबर 2019
- राइट टू एजुकेशन
- https://inee.org/collections/right-education#:~:text=%E0%A4%87%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A5%87%2

0%E0%A4%85%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%BE%2C%20161%20%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A5%8B%E0%A4%82%20%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82%20%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%AB%E0%A5%8D%E0%A4%A4%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A5%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%95,%E0%A4%94%E0%A4%B0%20%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%20%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE%20%E0%A4%95%E0%A5%80%20%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A5%80%20%E0%A4%A6%E0%A4%A6%E0

- रानी अलका, मध्यकाल में शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप, इंटरनेशनल जर्नल फॉर इन्नोवेटिव रिसर्च इन मल्टी डिसीप्लिनरी फील्ड,अगस्त 2016
- सरीन, मीनाक्षी, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, च जर्नल फॉर एडवांस और स्कॉलरली रिसर्च इन एलाइंड एजुकेशन,अक्टूबर 2011
- ज्ञानेंद्र कुमार, बुलंदशहर जनपद की प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार 2009 की क्रियान्वयन की स्थिति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय शोध प्रबंध, शिक्षा संकाय, 2021